उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
सख्या : 131 /XVII-3/2016-07(29)/2015
देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2016

अधिसूचना

"उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994" (अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) की धारा 2 की उपधारा (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2015/चालीस-2-94-14(51)/91 टी.सी. दिनांक 07.10.1994 द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी समुदायों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'अल्पसंख्यक' समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

तदोपरान्त उत्तराखण्ड गठन के उपरान्त "उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002" (अधिनियम संख्या 09 सन् 2002) के प्रभावी होने के पश्चात, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 2755/स.क./2003-411(समाज कल्याण)/2002 दिनांक 07.10.2003 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड के मूल निवासी जैन समुदाय को उत्तराखण्ड में 'अल्पसंख्यक' समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (घ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तराखण्ड के मूल निवासी मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी समुदायों को भी उत्तराखण्ड में 'अल्पसंख्यक' समुदाय के रूप में अधिसूचित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्तानुसार अधिसूचित समुदायों को **संलग्न परिशिष्ट** के अनुसार 'उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाणपत्र' संबंधित जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत किया जाएगा।

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या : 131 (1)/XVII(3)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विजय चन्द्र कौशल)
अपर सचिव।

क्रमशः...

संख्या : 121 (2)/XVII(3)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2 निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी/मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।

3 स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5 आयुक्त, गढवाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

6 अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।

7 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9 निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

10 समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी. एस. बोरा)
उपसचिव।

"उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण–पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..........................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी.......................उत्तराखण्ड राज्य के....................अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं, जिसे उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा–2 (घ) के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या–...............दिनांक..............2016 द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती.......................तथा उनका परिवार उत्तराखण्ड राज्य में भवन संख्या.......... ग्राम/वार्ड/कॉलोनी.................तहसील.................जनपद...............में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण–पत्र प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र/शपथ पत्र दिनांक...................पर क्षेत्रीय लेखपाल/अमीन/राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या दिनांक ....के आधार पर जारी किया जा रहा है।

स्थान..........................
दिनांक........................

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम......................
पदनाम/क्षेत्र/जनपद।